..ारा हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा जाने से वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ..ांक 23.03.2021 को प्राथमिक डिक्रि के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार डेह से प्राथमिक बंटवाड़ा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 696 दिनांक 24.03.2023 को प्राप्त हुआ। पीडी प्रस्ताव पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने पीडी प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वाद को अंतिम डिक्रि किये जाने का निवेदन किया। बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार डेह द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान ने बंटवाड़ प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कि है। मौके पर उपस्थितान को बंटवाड प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव को मौक पर जाकर तैयार किये जाने कि पुष्टी मौतबिरान तथा भू.अभि. निरीक्षक डेह की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होंने प्राथमिक बंटवाडा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वाद पत्र को डिक्रि किये जाने का निवेदन किया। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 क्रमश नौरतन, लिछमणराम, बीरबलराम, संतोष, पुष्पा, मैना, राजू, चमेली, जीतू, जीवराज, सुन्दरी, ईश्वर, कपिल एवं निर्मल ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 संतोषराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खेत खसरा नम्बर 742 रकबा 2.4929 हैक्टेयर में से रकबा 0.5504 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 17 संगीता देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खेत खसरा नम्बर 742 रकबा 2.4929 हैक्टेयर में से रकबा 1.9425 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 रामदेव 3/5 भाग, प्रतिवादी संख्या 15 सोहनीदेवी 2/5 भाग, के मौजा डेह के खसरा नम्बर 572 रकबा 3.2860 हैक्टेयर में से रकबा 1.6245 हैक्टेयर पश्चिमि भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. वादी संख्या 2 सुखदेव 3/5 भाग, प्रतिवादी संख्या 16 परमेश्वरी देवी 2/5 भाग, के मौजा डेह के खसरा नम्बर 572 रकबा 3.2860 हैक्टेयर में से रकबा 1.6245 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. वादी संख्या 3 रामदेव 1/2 भाग, वादी संख्या 2 सुखदेव 1/2 भाग के मौजा डेह के खसरा नम्बर 572 रकबा 3.2860 हैक्टेयर में से रकबा 0.0370 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता उपयोग हेतु रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 14 क्रमश नौरतन, लिछमणराम, बीरबलराम, संतोष, पुष्पा, मैना, राजू, चमेली, जीतू, जीवराज, सुन्दरी, ईश्वर, कपिल एवं निर्मल के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

7. उक्त खसरान में से बैंक के रहन कि स्थिती में रहन यथावत रहेगी। सूचित रहे।
8. तहसीलदार जायल से प्राप्त पिडी प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा निर्णय आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 16.8.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner